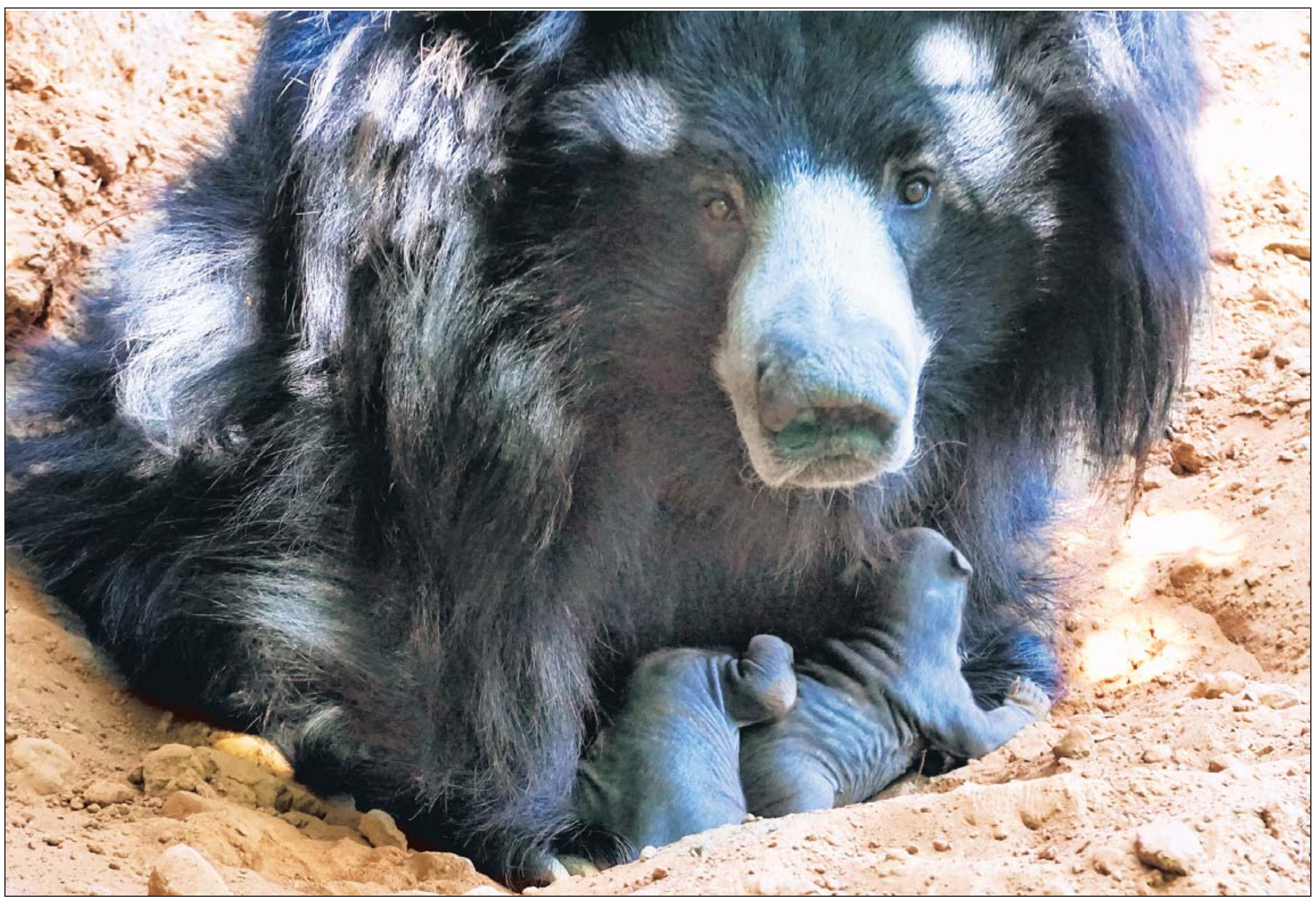

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में मादा भालू झुमरी ने दो बच्चों को जन्म दिया। झुमरी के भोजन और सर्दी से बचाव का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। भालू के बच्चे 23 दिन के हो गए हैं, लेकिन झुमरी ने इनको एक पल के लिये भी अपने से दूर नहीं किया है। अब तक बच्चों की आंखें भी नहीं खुली हैं। इससे पहले झुमरी ने वर्ष 2020 में नर बच्चे को जन्म दिया था। फोटो : दिनेश भारद्वाज

प्रदेश में शनिवार को 10 नए करोना संक्रमित मिले

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर। प्रदेश में शनिवार को 10 नए करोना संक्रमित मिले हैं। वहीं 6 मरीजों के रिकवर होने से एक्टिव केस बढ़कर 59 हो गए हैं। राज्य में पिछले 17 दिनों से करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है।

■ जयपुर में 5 नए मरीज पाए गए हैं।

प्रदेश में शनिवार को 4 जिलों में 10 नए संक्रमित मिले हैं। इससे पहले शुक्रवार को 6 रोगी पाए गए थे। इधर आज सबसे ज्यादा 5 नए संक्रमित जयपुर में मिले हैं। इसके अलावा जोधपुर में 3 तथा अजमेर और उदयपुर में 1-1 नया मरीज मिला है। इस बीच राज्य में 3704 जांचे की गई है।

प्रदेश में शनिवार को फिर रिकवरी में कमी आई है। इस दौरान केवल 6 मरीजों के ठीक होने से एक्टिव केस बढ़कर 59 हो गए हैं। राजधानी जयपुर में आज 2 ही मरीजों के रिकवर होने से एक्टिव केस बढ़कर 33 हो गए हैं। प्रदेश में शनिवार को भी करोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। हालांकि राज्य में अब तक इस बीमारी से 9653 लोगों की मौत हो चुकी है।

राजधानी जयपुर में पिछले चौबीस घंटों में 4 स्थानों पर नए संक्रमित मिले हैं। इनमें तोपखाना में 2 तथा झोटवाड़ा, कालवाड़ और विद्याधर नगर में 1-1 नया संक्रमित मिला है।

बी.एस.एफ. को निःशुल्क भूमि आवंटित

जयपुर, (का.सं.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जैसलमेर स्थित तनोट माता मंदिर क्षेत्र में पर्यटन विस्तार के लिए सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.) को निःशुल्क भूमि आवंटित की है। अब बी.एस.एफ. द्वारा पर्यटन सुविधाओं में विस्तार के लिए विभिन्न निर्माण कार्य कराए जाएंगे।

गहलोत की इस स्वीकृति से पर्यटक मंदिर में दर्शन के साथ ही यहां बनने वाले इंटरप्रिटेशन सेंटर में सेना के अस्त्र-शस्त्र, स्थानीय कला व संस्कृति और गौरवशाली इतिहास को जान सकेंगे। इसके अलावा चित्र दीर्घा में सेना के शौर्य के साथ देश-विदेश की प्रमुख हस्तियों द्वारा की गई यात्राओं की झलक भी देखने को मिलेगी।

न्यायिक अधिकारियों पर बेगार कराने का आरोप लगाया

जयपुर, (का.सं.)। न्यायिक सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा की न्यायिक अधिकारी के घर आत्मदाह से जुड़े मामले में अब सहायक न्यायिक कर्मचारी संघ भी खुलकर सामने आ गया है। कर्मचारी संघ ने सभी सहायक कर्मचारियों को पाबंद किया है कि रोजाना धरना स्थल पर पहुंचे। धरना स्थल पर सुबह और शाम के वक्त उनकी उपस्थिति दर्ज की जाएगी। यदि वे उपस्थित नहीं होते हैं या सामूहिक अवकाश की अवधि में उसका वेतन बनता है तो यह माना जाएगा कि संबंधित कोर्ट के पीठासीन अधिकारी उससे अपने घर बेगारी करा रहे हैं और मामले की हाईकोर्ट में शिकायत भेजी जाएगी।

सहायक कर्मचारी संघ की ओर से सुप्रीम कोर्ट को लिखे पत्र में कहा गया कि सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा न्यायिक अधिकारी के घर झाड़ू, पोछा और साफ सफाई करता था और इसके चलते उसकी हत्या हुई है। इसके बावजूद भी सहायक कर्मचारी कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों के घरों में बेगार प्रथा से त्रस्त हैं। यहां उन पर विभिन्न तरीकों से दबाव डालते हुए प्रताड़ित कर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है और उसमें अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। गौरतलब है कि मामले में पुलिस की ओर से आत्मदाह की घटना बताने के बाद न्यायिक कर्मचारी संघ ने एनडीपीएस कोर्ट के पीठासीन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कर्मचारी संघ का कहना है कि एनडीपीएस कोर्ट के न्यायाधीश कोर्ट के सहायक कर्मचारी सुभाष मेहरा को जबरन अपने घर रखते थे और उससे कपड़े-बर्तन धोना, खाना बनाना और शौचालय की सफाई आदि कराने का काम कराते थे। न्यायाधीश उसे घर पर बंधक बनाकर रखते थे और उसे कभी कोर्ट नहीं आने देते थे। न्यायिक कर्मचारी संघ ने कई बिन्दुओं पर पुलिस जांच पर भी सवाल उठाए हैं।

बिना अनुमति तबादले पर रोक लगाई

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने विभाग की अनुमति लिए बिना एएनएम का सुदूर तबादला करने पर चिकित्सा विभाग से जवाब तलब किया है। इसके साथ ही अदालत ने तबादला आदेश की क्रियान्विति पर रोक लगा दी है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश चमेली देवी की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता बाड़मेर में 14 साल की सेवा पूरी कर जुलाई 2018 में खेतड़ी में एएनएम नियुक्त हुई थी। वहीं अतिरिक्त स्वास्थ्य निदेशक ने पंचायती राज विभाग की अनुमति लिए बिना उसका तबादला यहां से करीब 550 किलोमीटर दूर शेरगढ़, जोधपुर कर दिया। याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता का पद पंचायती राज विभाग के अधीन आता है और उसका तबादला करने से पहले पंचायती राज विभाग की अनुमति नहीं ली गई। इसके साथ ही उसका तबादला करने के लिए उसे गलत तरीके से सरप्लस भी दर्शाया गया। ऐसे में तबादला आदेश को रद्द किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

नई पीढ़ी को यौगिक दिनचर्या से जोड़ा जाए : राज्यपाल

जयपुर, (का.सं.)। राज्यपाल एवं कुलाधिपति कलराज मिश्र ने नई पीढ़ी को आधुनिक जीवन शैली से जुड़े दुष्प्रभावों से बचाने के लिए यौगिक दिनचर्या से जोड़ने का आव्हान किया है। उन्होंने कहा कि योग आत्मविकास का सबसे बड़ा माध्यम है, भौतिकता के दौर में मानसिक शांति एवं संतोष के लिए योग सर्वथा उपयोगी है।

राज्यपाल मिश्र शनिवार को जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच शिलापट्टिकाओं का अनावरण कर योगसाधना भवन का लोकार्पण और संविधान पार्क एवं वैज्ञानिक आधार पर तैयार करवाई जा रही नवग्रह-नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास किया।

जगद्गुरु रामानन्दाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय में शनिवार को योगसाधना भवन का लोकार्पण किया गया। इस मौके पर बायें से सांसद रामचरण बोहरा, संस्कृत मंत्री बी.डी.कल्ला, राज्यपाल कलराज मिश्र, कुलपति डॉ.रामसेवक दुबे और स्थानीय विधायक गंगादेवी मौजूद थी।

राज्यपाल ने कहा कि संविधान से नई पीढ़ी जितना अधिक जुड़ेगी, उतना ही हमारा लोकतंत्र सशक्त होगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान आने के बाद प्रदेश के सभी वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क स्थापित करवाना उनकी प्राथमिकता रही है, ताकि भावी नागरिक संविधान प्रदत्त जीवन मूल्यों से जुड़ें और अधिकारों के साथ मौलिक कर्तव्यों का भी उन्हें भान रहे। उन्होंने कहा कि राजभवन में भी संविधान पार्क का शीघ्र लोकार्पण होगा। उन्होंने संविधान की संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा कि संविधान की मूल प्रति की शुरुआत में ही भगवान राम, सीता और लक्ष्मण का चित्र है और नीति निर्देशक तत्वों से जुड़े अध्याय में भगवान श्रीकृष्ण के गीता उपदेश के चित्र हैं। इसी प्रकार संविधान के विभिन्न भागों में भी महापुरुषों के चित्र हैं।

राज्यपाल मिश्र ने कहा कि विश्वविद्यालय में नवनिर्मित योग साधना भवन को योग के शास्त्रीय अध्ययन केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए, जहां योग से जुड़े शास्त्रों और योग की महान धरोहर से जुड़े आधुनिक ज्ञान को संस्कृत से अनुदित कर हिंदी और दूसरी भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यहां आधुनिक संदर्भों में योग संस्कृति से जुड़े व्याख्यान आयोजित किए जाने का सुझाव भी दिया। उन्होंने आशा व्यक्त की कि विश्वविद्यालय में बनने जा रही नवग्रह-नक्षत्र वाटिका ज्योतिष से जुड़े पौराणिक शोध और निष्कर्षों को सहज रूप में व्याख्यायित करेगी और पर्यावरण संरक्षण की संस्कृति से भी विद्यार्थियों को जोड़ेगी।

संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉ. बी.डी. कल्ला ने कहा कि विश्व में भारत देश की प्रतिष्ठा संस्कृत और हमारी संस्कृति से ही है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में संस्कृत भाषा के उन्नयन के लिए राज्य सरकार व्यापक स्तर पर प्रयास कर रही है।

सांसद रामचरण बोहरा ने विश्वविद्यालय में सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए सांसद निधि से पचास लाख रुपए देने की घोषणा की। विधायक गंगादेवी ने कार्यक्रम के दौरान विश्वविद्यालय परिसर की चारदीवारी के निर्माण के लिए विधायक निधि से बीस लाख रुपए की राशि प्रदान करने की घोषणा की।

सीने की नाप अलग-अलग होने पर जवाब मांगा

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2021 की शारीरिक दक्षता परीक्षा में एक ही अभ्यर्थी की दो जिलों में अलग-अलग सीने की नाप आने और एक जिले में फेल करने के मामले में गृह सचिव, आईजी भर्ती और जीआरपी, अजमेर के एसपी से जवाब मांगा है। जस्टिस महेन्द्र गोयल ने यह आदेश अजीत सिंह की याचिका पर दिए।

■ पुलिस कांस्टेबल भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा में दो जिलों अजमेर और भीलवाड़ा में अलग माप आई

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता ने कांस्टेबल भर्ती में अजमेर और भीलवाड़ा जिले से आवेदन किया था। अजमेर जिले में गत 29 अक्टूबर को हुई शारीरिक दक्षता परीक्षा में उसके सीने को गलत नापते हुए उसे अपात्र घोषित कर दिया। वहीं दो दिन बाद उसने भीलवाड़ा जिले में दक्षता परीक्षा दी तो उसे पास कर दिया गया। याचिका में कहा गया कि अजमेर में उसके सीने की गलत नाप की है और इसके चलते उसे फेल किया है। इसके अलावा केवल दो दिन के दौरान ही उसके सीने की नाप में अंतर नहीं आ सकता। इसलिए उसे शारीरिक दक्षता परीक्षा में पास कर नियुक्ति दी जाए। इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है।

जिला कलेक्टर व तहसीलदार को अवमानना नोटिस

जयपुर। हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के मामले में अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर बूंदी कलेक्टर और तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस वीके भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश थड़ी होल्डर्स यूनियन नैनवा की अवमानना याचिका पर दिए।

याचिका में अधिवक्ता योगेश टेलर ने अदालत को बताया कि नैनवां में अतिक्रमण के संबंध में गत चार मार्च को हाईकोर्ट ने जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित पीएलपीसी को आदेश जारी कर दो माह में अतिक्रमण पर कार्रवाई करने को कहा था। अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश के बावजूद भी अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं की गई। जिस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कलेक्टर और तहसीलदार को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। गौरतलब है कि पूर्व में पेश जनहित याचिका में कहा गया था कि नैनवा तहसील में स्टेट हाईवे के पास नगरपालिका की करीब 42 बीघा जमीन पर भूमाफियाओं ने अतिक्रमण कर रखा है। इसे हटाने के लिए स्थानीय प्रशासन को कई बार शिकायत दी गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।

करों की अदायगी के सरलीकरण की मांग

जयपुर, (का.सं.)। राज्य के आगामी बजट (वित्तीय वर्ष 2023-24) के लिए राज्य के प्रमुख औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से प्रमुख शासन सचिव, वित्त अखिल अराड़ा की अध्यक्षता शनिवार को शासन सचिवालय में आयोजित बैठक में सुझाव आमंत्रित किए गए। बैठक में राज्य के उद्योगों एवं व्यवसायियों को आगामी बजट में राहत प्रदान करने के लिए उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में अरोड़ा ने कहा कि आगामी बजट को अधिक समावेशी, समयानुकूल और जनकल्याणकारी बनाने की दिशा में समाज के विभिन्न वर्गों से जो सुझाव लिए जा रहें है, उन सभी पर गंभीरतापूर्वक विचार-विमर्श कर उन्हें बजट में शामिल करने के हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव के समक्ष विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने संगठन में वर्तमान में आ रही समस्याओं का जिक्र करते हुए राज्य सरकार से विभिन्न पहलुओं पर वित्तीय राहत एवं करों की अदायगी के सरलीकरण की मांग की।

नम्बर मिलाइए 9587884433

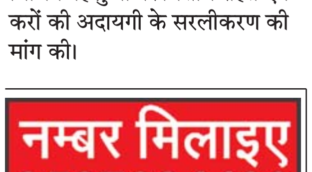

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेनामी संपत्ति को जल्द ही उजागर किया जाएगा : डॉ.किरोड़ी

जयपुर। राज्यसभा सांसद और भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने भाजपा मुख्यालय पर पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बेनामी संपत्ति को जल्द ही उजागर किया जाएगा। मीणा ने कहा कि इसके लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। जल्दी ही आलाकमान से सलाह मशवरा की बाद पत्रकार वार्ता करके सभी को जानकारी दी जाएगी।

वही भाजपा प्रदेश मुख्यालय पर प्रदेश में चल रही भाजपा की जन आक्रोश यात्रा के अंतर्गत कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार कई आश्वासनों के साथ सत्ता में आई, लेकिन उन पर खरी नहीं उतरी, 2018 के घोषणापत्र में पेज संख्या 36 के पेरा 23 में घोषणा की गई कि प्रदेश सरकार प्रदेश में सांप्रदायिक सद्भाव को बनाए रखते हुए असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी लेकिन पिछले 4 सालों में इसके उलट ही देखने को मिला, तुष्टीकरण की नीति के चलते प्रदेश सरकार ने करौली में नवसंवत्सर की रैली में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी कांग्रेस पार्षद मजलूफ अहमद जोकि गंभीर धाराओं में वांछित है उस पर सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने व आतंकी संगठन पीएफआई से जुड़ाव के बावजूद भी गिरफ्तार नहीं किया।

प्रदेश में पिछले 4 सालों से जब से कांग्रेस सत्ता में आई है तब से बहुसंख्यक लोगों पर अत्याचार और हिंसा के मामलों की पराकाष्ठा हो चुकी है, डॉ किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस सरकार के पीएफआई जैसे संगठन को संरक्षण देने के आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार को करौली हिंसा में पीएफआई की भूमिका की जांच करनी चाहिए क्योंकि करौली हिंसा से पूर्व पीएफआई के द्वारा एक पत्र पुलिस प्रशासन को भेजा गया जिसमें लिखा था कि करौली में हिंसा हो सकती है। ऐसे में उसकी पूर्व नियोजित हिंसा कराने की भूमिका गंभीर और संदेहास्पद रही, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। यह बात सरकार द्वारा उसे प्राप्त संरक्षण पर मुहर लगाती है, इसी प्रकार प्रदेश में पूर्व नियोजित तरीके से बहुसंख्यकों पर लगातार हमले हो रहे हैं किरोड़ी लाल मीणा ने उदयपुर में आतंकियों द्वारा कन्हैयालाल की निर्मम हत्या, झालावाड़ में कृष्णा वाल्मीकि, अलवर में योगेश जाटव की हत्या, जैसे कई मॉब लिंचिंग के मामलों पर सरकार को असंवेदनशीलकरार दिया, वहीं दूसरी ओर करौली में हिंसा, जयपुर में कावड़ यात्रा पर हमला, टोंक मालपुरा में भगवा रैली हमला, टोंक में ही दशहरा कार्यक्रम में हिंसा, कोटा के छबड़ा में कमल सिंह व्यापारी की चाकू मारकर हत्या व उसकी दुकान को आग लगाना, अलवर में एक युवती के साथ अपहरण कर जबरन धर्म परिवर्तन कराना, रामगढ़ में विशेष समुदाय के लोगों द्वारा युवती का बलात्कार कर जंगल में फेंकना, जालौर में आदिवासी महिला का अपहरण कर बलात्कार, सवाई माधोपुर में एक महिला का अपहरण हुआ जिससे मेरे द्वारा दिए गए धरने के बाद पुलिस दवा बनाकर दस्तयाब कराया गया। जैसी तमाम घटनाओं से बहुसंख्यक में भय का ऐसा माहौल व्याप्त हो चुका है कि वह अब सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन तक करने को मजबूर हो चुके हैं। डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि प्रदेश में 4 सालों से भाजपा बहुसंख्यक पर हो रहे अत्याचारों की आवाज उठा रही है लेकिन सरकार पूर्ण रूप से लापरवाह है। कांग्रेस सरकार की नीति का कड़े शब्दों में निंदा करते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि राजस्थान में बहुसंख्यक समाज प्रतिदिन प्रताड़ित हो रहा है। गहलोत सरकार की कथनी और करनी में अंतर इससे साफ स्पष्ट होता है। घोषणापत्र में सांप्रदायिक सद्भाव बनाने की बात करने वाली कांग्रेस ने सत्ता में आने पर इसका उल्टा किया और प्रदेश का बहुसंख्यक अपने आप को शोषित और हिंसा से पीड़ित ग्रसित महसूस कर रहा है और इसकी मुख्य वजह सरकार की तुष्टीकरण की नीति पर बड़े पैमाने पर अपनाना रहा। डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने राजस्थान सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि तुरंत प्रभाव से इस भेदभाव पूर्ण नीति को खत्म कर और कानून व्यवस्था को सुधारते हुए बहुसंख्य को पर हो रहे अत्याचारों से सख्ती से निपटें।

भाजपा नेता डॉ.किरोड़ी लाल मीणा शनिवार को प्रदेश कार्यालय में प्रेस से रूबरू हुए।

■ 'गहलोत सरकार की हिन्दू विरोधी और तुष्टीकरण की नीति के चलते 4 सालों से प्रदेश का बहुसंख्यक प्रताड़ित'

■ 'भगवान राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस का हिंदुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से कोई नाता नहीं'

समान नागरिक संहिता बिल पर बोलते हुए डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिकों के समान नागरिक संहिता को लेकर गंभीर है और समान नागरिक संहिता से देश के सर्वांगीण विकास, और देश के प्रत्येक व्यक्ति को समानता का अधिकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र व विचारधारा में प्रारंभ से ही समान नागरिक संहिता की प्रबल पक्षधर रही है और हम इस को लागू करने को लेकर गंभीर हैं जिस पर केंद्र सरकार द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस द्वारा सॉफ्ट हिंदुत्व अपनाने के सवालों का जवाब देते हुए डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि भाजपा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की पार्टी है और इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद ने कांग्रेस को मजबूर किया कि वह हिंदुत्व की शरण में गई वरना पहले तो कांग्रेस का हिंदुत्व और देश की संस्कृति से कोई लेना-देना नहीं था क्योंकि यह वही कांग्रेस है जिसने भगवान राम और राम सेतु को कोर्ट में शपथ पत्र देकर काल्पनिक बताया था। इस प्रेस वार्ता के मौके पर प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज, प्रदेश मीडिया संयोजक पंकज जोशी व प्रदेश मीडिया सह-संयोजक पंकज मीणा व अशोक सिंह शेखावत मौजूद रहे।

खोया पाया

श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति लि.जयपुर द्वारा जारी प्लाट नं. 847, देवी नगर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर का मूल आवंटन पत्र गुम गया। मिलने पर सम्पर्क करें-9828160512 चैन सिंह राठौड पुत्र श्री भंवर सिंह राठौड

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक- 12640 जाहिर आम सूचना दि. 09.12.2022
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 77/96 (MIG-A), (एरिया 85.200 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री अब्दुल करीम पुत्र श्री अब्दुल रहीम को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 2387 दिनांक 26.06.2021 को जारी किया गया। श्री अब्दुल करीम की मृत्यु दिनांक 28.06.2015 को हो जाने के कारण वसीयतनामा के आधार पर श्रीमती शिखा जैन पत्नी श्री मुकेश कुमार जैन द्वारा उक्त आवास को अपने नाम हस्तान्तरण करने हेतु आवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति/ पक्षकार को कोई आपत्ती हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नही हैं, श्रीमती शिखा जैन पत्नी श्री मुकेश कुमार जैन का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
भवदीय
सम्पदा प्रबंधक, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमति रीना शर्मा पत्नि श्री शिवदत्त शर्मा निवासी- 151 एफ/ 1, निलय कुंज, संतोष नगर, जयपुर तथा श्रीमति नीतू वार्ष्णेय पत्नि श्री सुबोध कुमार वार्ष्णेय निवासी -15/56, ब्रह्मणपुरी चौक, अलीगढ द्वारा अपने भाई नीरज शर्मा पुत्र स्वर्गीय श्री सुरेशचंद शर्मा एवं उसकी पत्नि शिखा शर्मा पुत्री श्री राजीव शर्मा निवासी जी-46ए, तिरूपति बालाजी मंदिर, चीलगाडी रेस्टोरेन्ट के पास, सांगानेर, जयपुर/ प्लॉट नं. 144, पार्श्वनाथ कॉलोनी, चीलगाडी रेस्टोरेन्ट के पास, सांगानेर, जयपुर को, उनके बीच उत्पन्न रोजाना के गृह- क्लेश, बुरे व्यसनों तथा मेरे अभिभाष्यगण एवं उनके परिवारजन के साथ किये जा रहे दुर्व्यहार व अमर्यादित आचरण के कारण अपने परिवार से रिश्ता खत्म कर दिया गया है। मेरे अभिभाष्यगण एवं उनके परिवारजन का भविष्य में नीरज शर्मा एवं उसकी पत्नि शिखा शर्मा से किसी तरह का कोई रिश्ता नहीं रहेगा और ना ही भविष्य में उनके द्वारा किये गये किसी भी कार्य एवं उनके मध्य उत्पन्न विवाद के लिये मेरे अभिभाष्यगण एवं उनका परिवार किसी भी प्रकार उत्तरदायी नहीं रहेगा। सूचित रहे।
भवदीय
एल.पी. सिंघल एडवोकेट मो. 9314521489

आम-सूचना-
र्स्व साधारण को सूचित किया जाता है,कि एक प्लाट न.12,फ्लैट न एफ.2,शुभम एनक्लेव,भुवनेश्वर वाटिका-ई,बजरी मण्डी रोड,ग्राम-पांच्यावाला,जिला-जयपुर,राजस्थान-302023 में स्थित है,जिस पर मेरी/मेरे पति स्व.श्री अनिल कुमार भटनागर ने एचडीएफसी लिमिटेड मे ऋण लिया हुआ था, तथा उक्त फ्लेट के समस्त असल दस्तावेज एचडीएफसी लिमिटेड मे रहन(MORTGAGE) कर रखे है,वह कि मेरे पति स्व.श्री अनिल कुमार भटनागर का दिनांक 22/04/2022 को स्वर्गवास हो चुका है,तथा उक्त फ्लेट के पेटे लिये हुऐ ऋण की पूर्ण अदायगी एचडीएफसी लिमिटेड को की जा चुकी है,इसलिये अब उक्त फ्लेट के असल दस्तावेजों को प्राप्त करना चाहती हूं,यदि इस सम्बन्ध में किसी भी व्यक्ति,संस्था,फर्म इत्यादि को किसी भी प्रकार की कोई आपती है,तो मय दस्तावेज प्रकाशन तिथी से सात दिवस तक की अवधी में एचडीएफसी लिमिटेड,सी-25,भगवान दास रोड, सेन्ट जेवियर्स स्कूल के सामने,सी-स्कीम,जयपुर,राजस्थान 302001, (फोन न.0141.6480799) में सम्पर्क करें ।
सीमा भटनागर पत्नि स्व.श्री अनिल कुमार भटनागर-8955613065

सम्पत्ति-क्रय-विक्रय

इंद्रागांधीनगर/मालवीयनगर/सिद्धार्थ नगर/प्रतापनगर, (JLN-रोड/ रिंगरोड़), जगतपुरा/मॉडलटाउन आसपास सभी हाउसिंगबोर्ड कॉलोनी, सेक्टर-रेजिडेंशियल/कमर्शियल/एग्रीकल्चर/इण्डस्ट्रियल/ हॉस्पिटल/इन्स्टीट्यूशन्स/फार्महाउसेस/रिसोर्ट, लेण्डस -(बेचने-खरीदने) हेतुः-भावना एंटरप्राइजेज, रियलिटी चेम्बरः-7599912345

नाम परिवर्तन

मैंने विवाह पश्चात अपना नाम रिया हिसारिया से बदलकर रिया पारीक रख लिया है। भविष्य में मुझे रिया पारीक पत्नी श्री शोर्य पारीक, पता-22 नरेडा कॉलोनी, झारखण्ड मोड, खातीपुरा रोड, जयपुर के नाम से जाना जावे।

मैंने अपनी पुत्री का नाम आक्षिता से बदलकर आक्षिता बागरिया पुत्री भगवाना राम बागरिया रख लिया है भविष्य में इसे इसी नाम से जाना जाये। निवासी सी-115, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर

मैंने अपना नाम विमला देवी से बदलकर विमला बागरिया पत्नी भगवाना राम बागरिया रख लिया है भविष्य में इसे इसी नाम से जाना जाये। निवासी सी-115, हनुमान नगर, खातीपुरा, जयपुर

I have changed my name from Bhumika Phutela to Bhumika Jolly W/o Akshit Jolly for all purpose. R/o- D-503, Trimurty Ariana Appartment, Jagatpura, Jaipur.

उत्तर पश्चिम रेलवे

ई-निविदा आमन्त्रण सूचना

पत्र सं. WB-74-W-O/Works/NIT/X दिनांक : 09.12.2022

मंडल रेल प्रबन्धक, इंजीनियरिंग, उत्तर पश्चिम रेलवे, जोधपुर द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिये एवं उनकी ओर से ई-निविदा के माध्यम से प्रचलित नियमों के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्रों में निविदा निम्न कार्यों के लिए क्रमानुसार आमंत्रित की जाती है। 1. ई-निविदा सूचना सं. **2022-23/141** कार्य का नाम व स्थान : Essential infrastructure facilities for maintenance of DMT rakes at Merta Road station of Jodhpur division. अनुमानित लागत : ₹27,35,147.49 बयाने की राशि : ₹54,700.00 2. ई-निविदा सूचना सं. **2022-23/142** कार्य का नाम व स्थान : Removal PSR of curve no. 17,72,75,79 & 92 on Samdari - Munabao Section under ADEN/Barmer of Jodhpur division. अनुमानित लागत : ₹1,74,86,525.17 बयाने की राशि : ₹2,37,400.00 3. ई-निविदा सूचना सं. **2022-23/143** कार्य का नाम व स्थान : Rail Renewal on Steel Girder bridges, Rail Renewal on Major/Important bridges, Conversion of loop lines in to LWR on LN (Ex.) - SMR (inc.) section, Renewal of Turn out Sleeper renewal & Rail Replacement, Weld & Fitting in Turn Out X-ing Portion on main line under ADEN/Samdari on Samdari-Bhildi Section. अनुमानित लागत : ₹2,68,29,387.36 बयाने की राशि : ₹2,84,200.00 4. ई-निविदा सूचना सं. **2022-23/144** कार्य का नाम व स्थान : Proposed pipe line connection from PHED over head tank to railway station Gotan under ADEN/Merta Road of jodhpur division. अनुमानित लागत : ₹17,33,371.06 बयाने की राशि : ₹34,700.00 निविदा सूचना संख्या 141 to 144 of 2022-23 निविदा प्रस्तुत करने की तिथि 27/12/2022 & 30/12/2022 को 15.00 बजे तक है। वेबसाईट का विवरण जहाँ पर ई-निविदा देखी व भरी जा सकती है-www.ireps.gov.in

1037-DP/22

हमें /NWRailways NWRailways_ पर फॉलो करें